

कार्यालय-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

- कार्यालय आदेश -

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 56 (क) एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 (6) वित्त / नियम / 98 दिनांक 28.12.98 एवं दिनांक 24.05.04 एवं प.(6) / वित्त / नियम / 2008 जयपुर दिनांक 24.03.15 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत निम्नांकित निजी सहायक द्वारा 60 वर्ष वर्गी अधिवार्थिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र.सं.	गाम रार्वश्री	पद	पदरखापन स्थान	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	हरि प्रसाद पारोक	निजी सहायक	गुरुद्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर	01.07.1961	30.06.2021

प्रारूप - 6

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित निजी सहायक के विरुद्ध आज तक-

1. राजरथान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्घित नहीं है।
2. राजरथान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/अधीन नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्घित नहीं हैं।

ABV
(सौरभ र्यामी)
आई.ए.एस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजरथान
बीकानेर

क्रमांक – शिविरा/गाध्य/साप्र/3104/सेवानिवृत्ति/2021-22 /168 दिनांक ०९।६

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रपित है –

1. संयुक्त निदेशक, पंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक रक्तूल शिक्षा, जयपुर।
3. गुरुद्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
4. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड वातत।
5. अनुभाग अधिकारी, डीपीसी अनुभाग।
6. श्री हरि प्रसाद पारोक, निजी सहायक।
7. गार्ड पंजिका/निली पंजिका।

उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजरथान
बीकानेर